

30.01.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना द्वारा मूलवाद में राजीनामा देने के कारण नोट पैस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज करने का प्रपत्र पेश करने पर प्रपत्र स्वीकार किया जाता इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रपत्र अयोग्य होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तर्तीब तकसील होकर दाखिल कर्तार है।

निरीप लिखाया जाता खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(दीपक चन्दन)

उपखण्ड अधिकारी
बड़साना